भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स इण्डस उद्योग एण्ड इन्फास्टक्चर प्रा. लि.ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) एरिया–20.55 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 29.06.2016, दिन–बुधवार, स्थान– आदिम जाति कल्याण विभाग, पूर्व माध्यमिक शाला, जमनीपाली, ग्राम– जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) के परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स इण्डस उद्योग एण्ड इन्फास्टक्चर प्रा. लि.ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) एरिया–20.55 एकड़ में प्रस्तावित कोल वॉशरी उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 29.06.2016 दिन–बुधवार को स्थान–आदिम जाति कल्याण विभाग, पूर्व माध्यमिक शाला, जमनीपाली, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (छ.ग.) के परिसर में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम डॉ. अतुल टाकरखेड़े, पर्यावरणीय सलाहकार, एनाकॉन लैबोरिट्री,नागपुर द्वारा कोलवॉशरी प्रोजेक्ट और पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष किया गया।

मेसर्स इण्डस उद्योग एण्ड इन्फ्रास्टक्चर प्रा. लि., ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला,जिला–कोरबा (छ.ग.) एरिया–20.55 एकड़ में कोलवॉशरी प्रोजेक्ट, उत्पादन क्षमता–0.9 मिलियन टन/वर्ष (Throughput Basis) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 28.06.2016 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में 0.9 चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। दिनांक 29.06.2016 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 14 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल 23 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 15 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 330–350 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 41 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रुप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :–

1. डॉ. जयपाल सिंह, कोरबा , जिला–कोरबा –

ग्राम जमनीपाली में कोलवॉशरी लगने से यहां के ग्रामीणों की जरुरत पूरी होगी, क्योंकि उद्योग लगने से ग्रामों का विकास होगा तथा आसपास के ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। कोलवॉषरी के स्थापना करने का समर्थन करता हुँ।

2. श्री प्रेम पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

उक्त उद्योग के क्षर इकाई के चलने मात्र से ही ग्राम के साधू तालाब प्रदूषित हो गया है। उद्योग लगने से फायदे कम नुकसान ज्यादा है। हमारे ग्राम के लोग कृषि पर निर्भर है, हम अकुषल श्रेणी में आते है, इस कारण हम गामवासियों को लुभावना अवसर भर देते है तथा रोजगार बाहर के लोगो को दिया जाता है।

3. श्री कलेश्वर प्रसाद पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

कोलवॉषरी लगने से हम ग्रामवासियों को समस्या हो रही है। उद्योग को बंद किया जावें। हमें कृषि कार्य में परेषानी हो रही है।

4. श्री रोहित राजवाड़े, ग्राम–कथरीमाल, जिला–कोरबा –

किसी भी क्षेत्र का विकास उद्योग लगने से होता है। उद्योग से रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कृषि से ही हमारा पूर्ण आर्थिक विकास नही हो पाता है। इसलिए अगर हम अपने क्षेत्र में उद्योग लगवाते है, तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उद्योग द्वारा सी.एस.आर. मद से ग्राम को मूलभूत सुविधा कराने के साथ मैं कोलवॉषरी का समर्थन करता हुँ।

5. श्री राम मनोहर सोनी, ग्राम–तिलकेजा, जिला–कोरबा –

कोलवॉषरी के स्थापना के पश्चात् साधू तालाब का सौंदर्यकरण का कार्य किया जावे। फलदार वृक्षारोपण के साथ–साथ पर्यावरण का ध्यान रखा जावें।

6. निवासी ग्राम पंचायत–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

पहले पर्यावरण का विकास करें, तब कहें। उक्त उद्योग का संबंधित क्षर हटाया जावें। कोलवॉषरी का हम विरोध करते है, हम उद्योग नही चाहते है।

7. श्री लक्ष्मी नारायण कौर, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

उद्योग के दुष्परिणामों को छोड़कर लोग अच्छाईयां बता रहे है। हमें कोल डिपो नही चाहिए। कोल डिपो को बंद करें । मैं इसका विरोध करता हुँ।

8. श्री अशोक तिवारी, अधिवक्ता, कोरबा , जिला–कोरबा –

उद्योग लगने से आसपास के ग्रामों का विकास होना तय है। आमजन के राय अनुसार ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये कार्य किया जावें। यदि कोलवॉषरी को शासन से स्वीकृति मिलती है तो आपके ग्राम में चिकित्सालय, विद्यालय, सामुदायिक भवन आदि के संबंध में सुविधायें इस संस्थान के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। मैं कोलवॉषरी लगाने का समर्थन करता हुँ और आमजनों से सहयोग करने के लिए अनुरोध करता हुँ। कोलवॉषरी लगने से दुष्परिणाम होने की संभावना नही है।

9. श्री भरत राम कंवर, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

कोलवॉषरी के स्थापना से पूरा क्षेत्र बंजर हो जायेगा। अतः मैं कोलवॉषरी का विरोध करता हुँ।

10. श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

रोजगार कहते है, देते नही है। हमारा जीवन ही नही रहेगा, तो रोजगार कहां करेंगें । कोल डिपो बंद करें।

11. श्री मनहरण सिंह कंवर, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

कोलवॉषरी बनाने की खबर नही है, हमें। हमारी भूमि को हमसे जबरदस्ती कर ले लिया गया है। संबंधित उद्योग के कषर के चार दिन चलने से जमनीपाली में प्रदूषण हो गया है। कोयला के प्रदूषण के कारण तालाब का पानी पूरा दूषित हो गया। मछली भी तालाब में प्रदूषण के कारण मर गये। कोलवॉषरी के लगने से हमारे आने जाने का रास्ता बंद हो गया। उद्योग के रेल लाइन के पास से गुजरने से कभी भी दुघर्टना होने की संभावना है। इससे हमें कोई लाभ नही होगा, बल्कि नुकसान होगा।

12. श्री भोजराम राजवाड़े, ग्राम–कनकी, ब्लॉक करतला, जिला–कोरबा –

हम आमजनों को मिलकर उद्योग प्रबंधन को सुझाव देना चाहिए कि आपके उद्योग से कोल डस्ट ना उड़े, दूषित जल को हमारी कृषि भूमि में ना डाले। इसके लिए पूरा व्यवस्था किया जावें। मैं कोलवॉषरी लगाने हेतु सहमति देता हुँ।

13. श्रीमती पुष्पा पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

जमनीपाली के लोगो को रोजगार मिलेगा, कहते है। कोल डिपो से प्रदूषण होगा, कोई रोजगार नही मिलेगा। बल्कि हमारा खेत भी कोल डस्ट प्रदूषण से खराब होगा। प्रदूषण से हम बीमार पड रहे है। हम इसका विरोध करते है।

14. श्रीमती सरस्वती पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

अभी से कोल डिपो से प्रदूषण हो रहा है तो हमारा उन्नति कैसे होगा। हमारे बच्चे बीमार पड़ेगें। हमारा खेत खराब होगा। हम कोलवॉषरी का विरोध करते है।

15. श्री अमृतलाल यादव, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –

कोल डिपो के कुछ दिन चलने से ही हर क्षेत्र, हर घर में कोयला प्रदूषण हो गया है। कोल प्रदूषण को रोकने के लिए पानी डालने की बात कहते है, लेकिन प्रदूषित जल तो हमारे खेत में ही जाएगा। नहर का पानी भी हमें नही मिल पा रहा है। कोल डिपो को हटावें और नहर का पानी हमें दिलावें । कोलवॉषरी को बंद कराना है।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रुप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई है:–

1. **श्रीमती धनेश्वरी कंवर, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, करतला, जिला–कोरबा समीना खातून, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत, करतला द्वारा प्राप्त 02 आवेदन पत्र जिनके समतुल्य मुद्दे निम्नानुसार है –**

- उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के सभी नियमों का पालन करने के उपरांत कोलवॉशरी की स्थापना किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

- कोलवॉशरी की स्थापना से आसपास के ग्रामीण रहवासी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार मिलेगा एवं उनके परिवार का भरण–पोषण होगा।
- उद्योग प्रबंधन को आसपास के ग्रामों के विकास की ओर ध्यान देना होगा।
- उद्योग में जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु नियमानुसार आवश्यक उपकरणों की स्थापना किया जावे।
- उद्योग के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जावे।

2. **सरपंच, ग्राम–पंचायत जमनीपाली,जनपद पंचायत– करतला, जिला–कोरबा –**

ग्राम–जमनीपाली में कोलवॉशरी स्थापना करने के पश्चात ग्राम–जमनीपाली के आसपास के क्षेत्र प्रदूषित न हो। साथ ही ग्राम–जमनीपाली के आसपास के लोगों को कोलवॉशरी में रोजगार मिले इसी शर्त के साथ कोलवॉशरी स्थापना का समर्थन करते हैं।

3. **श्री पंचराम यादव, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा–**

आसपास के ग्रामों के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करें, जल एवं वायु प्रदूषण रोकने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों का पालन करें, आसपास के ग्रामों में खाली पड़ी भूमि पर सघन वृक्षारोपण करें, कोल परिवहन मार्गों पर नियमित जल छिड़काव करने की शर्त के साथ ही कोलवॉशरी लगाने का समर्थन करता हूँ।

4. **श्री गजराज सिंह कंवर, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

ग्राम–जमनीपाली में खुलने वाली कोलवॉशरी कोरबा शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कोलवॉशरी से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण से सभी मापदण्डों का पालन करने जैसे–

वृक्षारोपण , धूल डस्ट प्रदूषण नियंत्रण, दूषित जल का बहाव आसपास के कृषि क्षेत्र में नहीं करने पर कोलवॉशरी की स्थापना का समर्थन करता हूँ।

5. **श्री कमलेश कुमार बरेठ, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी की स्थापना से आसपास के क्षेत्र का विकास होगा एवं ग्रामीणों का रोजगार मिलेगा। उद्योग प्रबंधन वृक्ष लगाये, पर्यावरण को बचाये की कहावत को पूर्ण करने के साथ कोलवॉशरी की स्थापना करें।

6. **श्री हरि नारायण पटेल, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

इण्डस उद्योग प्रबंधन को कोलवॉशरी स्थापना के दौरान ध्यान रखना होगा कि ग्राम–जमनीपाली एवं आसपास के क्षेत्र में जल एवं वायु प्रदूषण न हो तथा उद्योग के अंदर एवं बाहर वृक्षारोपण का कार्य किया जावे। साथ ही आसपास के ग्रामवासियों को रोजगार प्रदान किया जावे।

7. **श्री पवन सिंह कंवर, ग्राम–जमनीपाली, तहसील–करतला,जिला–कोरबा**

उद्योग प्रबंधन यदि पर्यावरण नियमों का पालन करते हुए कोलवॉशरी की स्थापना करें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस स्थिति में कोरबा शहर के साथ–साथ आसपास के ग्रामों का विकास होगा।

8. **श्री भोजराम राजवाडे, मेन रोड, कोरबा , जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा कोरबा क्षेत्र में बेरोजगारी कम होगी। अतः हम कोलवॉशरी की स्थापना का समर्थन करते हैं।

9. **समस्त ग्रामवासी जमनीपाली एवं सरपंच ग्राम पंचायत जमनीपाली, जनपद पंचायत करतला, जिला–कोरबा से प्राप्त 02 आवेदन–**

कोलवॉशरी के दुष्प्रभाव से क्षेत्र के अन्य किसानों की भूमि में कोल का प्रदूषण होगा। कोलवॉशरी के धूल एवं राख से बस्ती के किसान प्रभावित होंगें तथा ग्राम के जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ग्रामीणजन को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। किसानों की भूमि बंजर हो जाएगीं , जिससे किसानों के भूखे मरने की स्थिति निर्मित होगी।

कोलवॉशरी से कार्बन काफी मात्रा में उड़कर हमारे जमीन एवं स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाएगा। अभी से जब उद्योग शुरु नही हुआ , तब तो तालाब का पानी प्रदूषित हो रहा है। डस्ट तथा कार्बन उड़ने से वातावरण प्रदूषित होगा। कई तरह की बीमारियां होंगीं। कार्बन डस्ट की वजह से जमीन बंजर हो जायेगी, जिससे किसानों के सामने की जीवन यापन की गंभीर समस्या होगीं। जल प्रदूषित होगा, जिससे पेयजल का संकट होगा।

10. **श्री खेम कुमार, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा।

11. **श्री झाम लाल साहू, जनपद सदस्य फरसवानी, ग्राम–जमनीपाली जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यह कोलवॉशरी ग्राम से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, इस कारण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ेगा तथा आसपास की भूमि बंजर हो जाएगी, मैं कोलवॉशरी का विरोध करता हुँ।

12. **श्री राजेश मिश्रा, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

उद्योग की स्थापित कशर इकाई को चलाने से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा तथा कोलवॉशरी की स्थापना का मैं समर्थन करता हुँ।

13. **श्री प्रकाश, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से ग्राम का विकास होगा।

14. **श्री शंकर, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

15. **श्री खिलेन्द्र पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राम का विकास होगा । हमारा ग्राम सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

16. **श्री संतोष कुमार, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

17. **श्रीकांत , ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्राम का विकास होगा। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

18. **श्री रमेश पटेल, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

19. **श्री राजेश कुमार, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीणजनों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। कोलवॉशरी लगने से हमें कोई आपत्ति नही है।

20. **श्री राजू, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग खुलने से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण की संभावना नही है। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

21. **श्री मदन लाल दास, ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा –**

कोलवॉशरी के खुलने से आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। हम कोलवॉशरी का समर्थन करते हैं।

लोक सुनवाई दौरान तथा लोकसुनवाई के पूर्व प्राप्त मुख्य रुप से लिखित/मौखिक चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नाकिंत प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री नीतेष कुमार अग्रवाल, संचालक, मेसर्स इण्डस उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर प्रा. लि., ग्राम–जमनीपाली, जिला–कोरबा द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार समावेशित प्रश्नों के साथ निम्नानुसार है :–

1. कोलवॉशरी स्थापना करने के पूर्व शासन के नियमानुसार आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना की जावें।

✓ कोलवॉशरी परियोजना में शासन के दिशानिर्देशों के तहत् जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों की स्थापना की जाएगी। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्रशर के सभी ट्रांसफर पाइंट पर बैग फिल्टर, कोल हैण्डलिंग प्लांट में जल छिड़काव, रेल्वे साइडिंग में कोयले के लोडिंग/अनलोडिंग प्रकिया के दौरान जल छिड़काव किया जावेगा।

साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु थिकनर का उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात संपूर्ण जल को पुर्नचकित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त घरेलु दूषित जल हेतु सैप्टिक टैक एवं सोक पिट का निर्माण किया जावेगा।

2. कोलवॉशरी संयंत्र में उत्पादन प्रकिया के दौरान उपयोग किये जाने वाले जल से उत्पन्न होने वाले प्रदूषित जल का समुचित व्यवस्था किया जावे तथा किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण आसपास के कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि पर नहीं किया जावे।

✓ कोलवॉशरी परियोजना में शून्य निस्सारण की प्रकिया अपनाई जावेगी तथा कोलवॉशरी परिसर के बाहर किसी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जावेगा।

उद्योग से उत्पादन प्रकिया के दौरान उत्पन्न होने वाले संपूर्ण दूषित जल का पुर्नउपयोग उद्योग में स्थापित थिकनर के माध्यम से किया जावेगा, तदोपरांत उपचारित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन में जल छिड़काव तथा हरित पट्टिका में सिंचाई के लिए किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संयंत्र प्रबंधन द्वारा वर्षा जल संग्रहण की सुविधा भी विकसित किया जावेगा, जिससे वर्षा ऋतु में वर्षा का जल संरक्षण किया जा सके। अतः उद्योग के दूषित जल का निस्सारण आसपास की कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि में नही किया जावेगा।

3. उद्योग प्रबंधन द्वारा कोलवॉशरी संयंत्र के वायु प्रदूषण स्त्रोंतों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था किया जावे ?

✓ कोलवॉशरी संयंत्र में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जावेगी।

जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाः—

औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर स्थापित किया गया है। जिससे दूषित जल का उपचार किया जाकर उपचारित जल का उपयोग

डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण कार्य में किया जावेगा एवं शून्य निस्सारण की प्रकिया अपनाई जावेगी। साथ ही घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट की स्थापना की जावेगी।

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाः—

वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कशर के सभी ट्रांसफर पाइंट पर बैग फिल्टर, कोल हैण्डलिंग प्लांट में जल छिड़काव, रेल्वे साइडिंग में कोयले के लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान जल छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी। साथ ही कोल का परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जावेगा, जिससे वायु प्रदूषण की संभावना नही होगी। यदा—कदा कोल का परिवहन ट्रको के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रको के माध्यम से किये जाने वाले कोल का परिवहन तारपोलिन से ढककर ही किया जावेगा। अतः कव्हर्ड ट्रकों से ही प्रदूषण की संभावना नगण्य होगी।

4. उद्योग के कोल परिवहन मार्गों पर कोल परिवहन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था की जानकारी ?

✓ कोल का परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जावेगा, जिससे वायु प्रदूषण की संभावना नही होगी। यदा—कदा कोल का परिवहन ट्रको के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रको के माध्यम से किये जाने वाले कोल का परिवहन तारपोलिन से ढककर ही किया जावेगा। अतः कव्हर्ड ट्रकों से ही प्रदूषण की संभावना नगण्य होगी। कोयले के परिवहन से उत्पन्न न्यूनतम धूलकण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़क मार्गो पर चलित वाटर टैंकर के माध्यम से नियमित रुप से जल का छिड़काव किया जावेगा।

साथ ही आवश्यक स्थानों यथा रेल्वे साइडिंग, कोल हथालन यार्ड पर स्थाई/चलित जल छिड़काव प्रणाली लगाई जावेगी।

5. उद्योग परिसर एवं उद्योग परिसर के आसपास के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जावे ?

✓ संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट अनुसार 6.89 एकड़ अर्थात 33 प्रतिशत क्षेत्र में लगभग 5580 नग पौधा रोपण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त रेल्वे साइडिंग स्थल के आसपास हरित पट्टिा के रूप में 680 नग पौधो का रोपण किया गया है।

6. उद्योग के स्थापना के पश्चात कोलवॉशरी संयंत्र के आसपास निवासरत् ग्रामीणों को रोजगार प्रदान के संबंध में जानकारी ?

✓ उद्योग प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि कोलवॉशरी स्थापना के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को उनकी कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दी जावेगी। अधिकतम रोजगार आसपास के स्थानीय ग्रामीणो को दिया जावेगा।

7. उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम–जमनीपाली एवं आसपास के क्षेत्र में सामुदायिक विकास किया जावे ?

✓ उद्योग प्रबंधन द्वारा सीएसआर मद के तहत् ग्राम–जमनीपाली एवं आसपास के ग्रामों में सामुदायिक विकास का कार्य किया जावेगा। जिसके अंतर्गत चिकित्सालय, षिक्षा, पेयजल, तालाब सौंदर्यकरण आदि का कार्य किया जाकर ग्रामों के विकास में योगदान किया जावेगा।

8. उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के सभी मापदण्डों का पालन करने के उपरांत ही कोलवॉशरी की स्थापना किया जाना चाहिए ?

✓ उद्योग के स्थापना के पूर्व , स्थापना के दौरान एवं स्थापना होने के पश्चात् आवश्यक पर्यावरण मापदण्डों का पालन उद्योग प्रबंधन द्वारा

किया जावेगा। साथ ही उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण स्तर मानकों के अनुरुप रखने हेतु सभी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमों एवं अधिनियमों का पालन किया जावेगा।

9. उद्योग के आसपास के ग्रामों में खाली पड़ी भूमि पर सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जावे ?

✓ उद्योग प्रबंधन को आसपास के ग्रामों के खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। यदि स्थानीय/राज्य के प्राधिकारियों के अनुमति रही अथवा ग्रामीणजन चाहे तो खाली पड़ी भूमि पर उद्योग प्रबंधन को पौधारोपण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। उद्योग प्रबंधन द्वारा वृक्षारोपण करने हेतु सहमति दी गई है।

10. कोलवॉशरी के स्थापना से ग्राम जमनीपाली की कृषि भूमि बंजर होगी । साथ ही ग्राम जमनीपाली की जनता साग–सब्जी उगाकर के अपना भरण पोषण करती है। जमीन बंजर होने से सब्जी की पैदावार नही होगी।

✓ कोलवॉशरी में गीली धोवन प्रकिया अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नही होगा। उद्योग के संपूर्ण जल का पुर्नउपयोग किया जावेगा। किसी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण कृषि भूमि में नही किया जावेगा। अतः कृषि भूमि के बंजर होने की संभावना नही है। ग्रामवासी कृषि कार्य पूर्वानुसार कर सकते है। उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों द्वारा सब्जी के उत्पादन में तकनीकी/वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।

11. साधू तालाब का पानी संबंधित उद्योग के कशर से दूषित हो गया हैं। अगर कोलवॉशरी की स्थापना होगी तो साधू तालाब का जल पूर्णरुपेण से प्रदूषित हो जायेगा।

✓ क्रशर के ट्रायल संचालन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण के कारण क्रशर का संचालन बंद कर दिया गया है। कोलवॉशरी की स्थापना के पश्चात् कोल क्रशर में वेट प्रक्रिया में अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नही होगा। साथ ही साधू तालाब पर भी प्रदूषण का प्रभाव नही होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा साधू तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जावेगा, जिससे ग्रामीणजन को तालाब से लाभ प्राप्त हो सके।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व 09 एवं लोक सुनवाई के दौरान 14 कुल 23 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 15 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा

(क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, कोरबा (छ.ग.))

अपर कलेक्टर,
कोरबा, जिला कोरबा(छ.ग.)

(अपर कलेक्टर, कोरबा (छ. ग.))

जनता द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दों का विवरण और उद्योग प्रतिनिधि की टीका–टिप्पणियाँ)
(Statement of Main Issues raised by the Public and Comments of the Project Proponent)

क्र.	जनता द्वारा उठाये गये मुख्य मुद्दों का विवरण (हिन्दी में)	उद्योग प्रतिनिधि की टिप्पणियाँ	Statement of Main issues raised by the Public (In English)	Comments of the Project Proponent
1	2	3	4	5
1.	कोल वाशरी स्थापना करने के पूर्व शासन के नियमानुसार आवश्यक जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना की जावे।	कोलवॉशरी परियोजना में शासन के दिशानिर्देशों के तहत् जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपकरणों की स्थापना की जाएगी। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु क्रशर के सभी ट्रांसफर पाइंट पर बैग फिल्टर, कोल हैण्डलिंग प्लांट में जल छिड़काव, रेल्वे साइडिंग में कोयले के लोडिंग/अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान जल छिड़काव किया जावेगा। साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु थिकनर का उपयोग किया जावेगा। तत्पश्चात संपूर्ण जल को पुर्नचक्रित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त घरेलु दूषित जल हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का निर्माण किया जावेगा।	Necessary air and water pollution control equipment according to Rule and regulation of Government should be installed before commencement of Coal washery.	All the guidelines under Air and Water pollution Acts will be followed and appropriate air and water pollution control measures/ equipments will be installed. For Air pollution control through Bag filter is proposed at all coal crushing points and transfer points. Water sprinkling will be do neat coal handling yard, internal roads and railway siding during loading/unloading process. Along with this for control of water pollution thickner and belt press will be used. Afterward the water is recycled. Apart from this domestic waste water will be treated through septic tank and soak pit.
2.	कोलवाशरी संयंत्र में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उपयोग किये जाने वाले जल से उत्पन्न होने	कोलवॉशरी परियोजना में शून्य निस्सारण की प्रक्रिया अपनाई जावेगी तथा कोलवॉशरी परिसर के	Proper arrangement for Waste water generated due to water used in coal washing should be done, there will be	The project will maintain "Zero discharge" all the time. There will no discharge outside the project

	वाले प्रदूषित जल की समुचित व्यवस्था की जावे तथा किसी भी प्रकार के दूषित जल का निस्सारण आसपास की कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि पर नही किया जावे।	बाहर किसी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण नहीं किया जावेगा। उद्योग से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले संपूर्ण दूषित जल का पुर्नउपयोग उद्योग में स्थापित थिकनर के माध्यम से किया जावेगा, तदोपरांत उपचारित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन में जल छिड़काव तथा हरित पट्टिका में सिंचाई के लिए किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संयंत्र प्रबंधन द्वारा वर्षा जल संग्रहण की सुविधा भी विकसित किया जावेगा, जिससे वर्षा ऋतु में वर्षा का जल संरक्षण किया जा सके। अतः उद्योग के दूषित जल का निस्सारण आसपास की कृषि भूमि अथवा बंजर भूमि में नही किया जावेगा।	no discharge of waste water outside the project boundary in agricultural or barren land.	premises. Entire waste water during process will be treated by thicker. The treated water will be thereafter used for irrigation at green belt and dust suppression. Therefore, there is no discharge of waste water on nearby agriculture or barren land. In addition to this industry will develop rain water harvesting system, so that rain water during rainy season shall be stored as well as charged to ground water.
3	उद्योग प्रबंधन द्वारा कोल वाशरी संयंत्र के वायु प्रदूषण स्त्रोतों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था एवं जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जावे।	कोलवॉशरी संयंत्र में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जावेगी। **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाः–** औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर स्थापित किया गया है। जिससे दूषित जल का	Project management shall provide adequate facilities for controlling Air Pollution and Water Pollution at all the source of pollution at Coal washery.	There is already provision for adequate air and water pollution control measures **Water Pollution Control Measure**: Thickner and Belt press will be installed for treatment of process

		उपचार किया जाकर उपचारित जल का उपयोग डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण कार्य में किया जावेगा एवं शून्य निस्सारण की प्रकिया अपनाई जावेगी। साथ ही घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट की स्थापना की जावेगी। **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था:-** वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कशर के सभी ट्रांसफर पाइंट पर बैग फिल्टर, कोल हैण्डलिंग प्लांट में जल छिड़काव, रेल्वे साइडिंग में कोयले के लोडिंग/अनलोडिंग के दौरान जल छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी। साथ ही कोल का परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जावेगा, जिससे वायु प्रदूषण की संभावना नही होगी। यदा-कदा कोल का परिवहन ट्रको के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रको के माध्यम से किये जाने वाले कोल का परिवहन तारपोलिन से ढककर ही किया जावेगा। अतः कव्हर्ड ट्रकों से ही प्रदूषण की संभावना नगण्य होगी।		waste water. This treated water will be used in dust suppression and plantation, Zero discharge policy will be adopted. Apart from this domestic waste water will be treated through septic tank and soak pit. **Air Pollution Control Measures:** For Air Pollution Control all the transfer points of crusher bag filters will be installed, water sprinkling will be done at rail railway siding during loading/unloading of coal. Coal will be mainly transported through rail wagons, therefore there will be no possibility of air pollution due to transportation of coal. In case of unavailability of railway wagons coal will be transported through tarpaulin covered trucks, thus there will be no significant dust emission from covered transportation.
4.	उद्योग के कोल परिवहन मार्गो पर कोल परिवहन के दौरान होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु	कोल का परिवहन रेलवे के माध्यम से किया जावेगा, जिससे वायु प्रदूषण की संभावना नही	Provide Information for regular water sprinkling at road used for coal	Coal will be mainly transported through rail wagons, therefore

	नियमित रुप से जल छिड़काव की व्यवस्था की जानकारी	होगी। यदा–कदा कोल का परिवहन ट्रको के माध्यम से किया जा सकता है। ट्रको के माध्यम से किये जाने वाले कोल का परिवहन तारपोलिन से ढककर ही किया जावेगा। अतः कव्हर्ड ट्रकों से ही प्रदूषण की संभावना नगण्य होगी। कोयले के परिवहन से उत्पन्न न्यूनतम धूलकण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु सड़क मार्गो पर चलित वाटर टैंकर के माध्यम से नियमित रुप से जल का छिड़काव किया जावेगा। साथ ही आवश्यक स्थानों यथा रेल्वे साइडिंग, कोल हथालन यार्ड पर स्थाई/चलित जल छिड़काव प्रणाली लगाई जावेगी।	transportation by industry?	there will be no possibility of air pollution due to transportation of coal. In case of unavailability of railway wagons coal will be transported through tarpaulin covered trucks, thus there will be no significant dust emission from covered transportation. Regular water sprinkling through mobile water sprinklers, will be done to minimize the fugitive dust due to coal transportation. Along with the above mobile/fixed water sprinkling system will be installed at necessary places i.e. railway siding, coal handling yard.
5.	उद्योग परिसर एवं उद्योग परिसर के आसपास के क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण किया जावे।	संयंत्र प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट अनुसार 6.89 एकड़ अर्थात 33 प्रतिशत क्षेत्र में लगभग 5580 नग पौधा रोपण किया जावेगा। इसके अतिरिक्त रेल्वे साइडिंग स्थल के आसपास हरित पट्टिका के रूप में 680 नग पौधो का रोपण किया गया है।	Thick plantation should be done at project premises and surrounding areas	Management has already proposed through EIA report to plant about 5580 nos. of tree over 6.89 Acre area. About 680 plants are already planted at with railway siding.
6.	उद्योग की स्थापना के पश्चात कोल वाशरी संयंत्र के आसपास निवासरत ग्रामीणों को रोजगार	उद्योग प्रबंधन द्वारा बताया गया है कि कोलवॉशरी स्थापना के पश्चात् स्थानीय ग्रामीणों को उनकी	Give information regarding employment opportunities after installation of coal washery for	Project promoter herewith assure that local people will be given priority based their skill. Most of

	प्रदान करने के संबंध में जानकारी	कुशलता के आधार पर रोजगार प्राथमिकता के तौर पर दी जावेगी। अधिकतम रोजगार आसपास के स्थानीय ग्रामीणों को दिया जावेगा।	villagers residing at nearby areas?	employment will be given to local villagers of surrounding villages.
7.	उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्राम जमनीपाली एवं आसपास के क्षेत्र का समुदायिक विकास किया जावे	उद्योग प्रबंधन द्वारा सीएसआर मद के तहत् ग्राम-जमनीपाली एवं आसपास के ग्रामों में सामुदायिक विकास का कार्य किया जावेगा। जिसके अंतर्गत चिकित्सालय, शिक्षा, पेयजल, तालाब सौंदर्यकरण आदि का कार्य किया जाकर ग्रामों के विकास में योगदान किया जावेगा।	Community development activity should be taken up at village-Jamnipali and nearby villages.	Development through CSR activity at Jamnipali and surrounding villages ,will be done by management. The assistance for Hospital, Education, Drinking Water, makeover of ponds will be done.
8.	उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण के सभी मापदण्डों का पालन के उपरांत ही कोल वाशरी की स्थापना की जानी चाहिए।	उद्योग के स्थापना के पूर्व, स्थापना के दौरान एवं स्थापना होने के पश्चात् आवश्यक पर्यावरण मापदण्डों का पालन उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जावेगा। साथ ही उद्योग प्रबंधन द्वारा पर्यावरण स्तर मानकों के अनुरुप रखने हेतु सभी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमों एवं अधिनियमों का पालन किया जावेगा।	Project management shall establish coal washery only after compliance of all the environmental standards?	Environmental standards will be fully complied during construction and after establishment of industry. Industry will be follow all norms of C.P.C.B. and C.E.C.B.
9.	उद्योग के आसपास के ग्रामों में खाली पड़ी भूमि पर सघन	उद्योग प्रबंधन को आसपास के ग्रामों के खाली पड़ी भूमि पर	Thick plantation at barren lands surrounding plant area should be	At present, there is no proposal before industry for plantation at

	वृक्षारोपण का कार्य किया जावे	वृक्षारोपण किये जाने प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है। यदि स्थानीय/राज्य शासन की अधिकारियों के अनुमति रही अथवा ग्रामीणजन चाहे तो खाली पड़ी भूमि पर उद्योग प्रबंधन को पौधारोपण करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। उद्योग प्रबंधन द्वारा वृक्षारोपण करने हेतु सहमति दी गई है।	taken up.	barren land outside the project boundary. If the proposal for this will be received, and local/state authority will permit then Industry is ready to take plantation work.
10	कोलवॉशरी के स्थापना से ग्राम जमनीपाली की कृषि भूमि बंजर होगी । साथ ही ग्राम जमनीपाली की जनता साग– सब्जी उगाकर के अपना भरण पोषण करती है। जमीन बंजर होने से सब्जी की पैदावार नही होगी।	कोलवॉशरी में गीली धोवन प्रकिया अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नही होगा। उद्योग के संपूर्ण जल का पुर्नउपयोग किया जावेगा। किसी प्रकार का दूषित जल का निस्सारण कृषि भूमि में नही किया जावेगा। अतः कृषि भूमि के बंजर होने की संभावना नही है। ग्रामवासी कृषि कार्य पूर्वानुसार कर सकते है। उद्योग प्रबंधन द्वारा ग्रामीणों द्वारा सब्जी के उत्पादन में तकनीकी/वैज्ञानिक सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है।	Due to coal washery the land of village – Jamnipali will become barren. Hence there will be not any production of vegetable and the villagers are dependent on agriculture/Horticulture for their livelihood.	Wet process will be adopted by coal washery therefore there will not be any air pollution. Entire water will be recirculated in process. There will be no waste water discharge at agricultural land. Thus there is no possibility of land becoming infertile due to coal washery. The villagers will be able to continue farming /agriculture as per current practice. We are proposing to provide technical/ scientific help to villagers grow horticulture crops.
11.	साधू तालाब का पानी संबंधित उद्योग के क्रशर से दूषित हो गया हैं। अगर कोलवॉशरी की स्थापना होगी तो साधू तालाब का जल	क्रशर के ट्रायल संचालन के दौरान होने वाले प्रदूषण के संबंध में ग्रामीणजन के प्राप्त शिकायत के प्रति संज्ञान लेते हुये क्रशर का	Due to operations of existing crusher the water of "Sadhu Talab" has got contaminated. If the coal washery will established then the water of	During trial of crusher air pollution was reported by villagers, which was due to heavy wind, but the management had

	पूर्णरुपेण से प्रदूषितहो जायेगा।	संचालन बंद कर दिया गया है। कोलवॉशरी की स्थापना के पश्चात् कोल क्शर में वेट प्रकिया में अपनाई जावेगी। जिससे वायु प्रदूषण नही होगा। साथ ही साधू तालाब पर भी प्रदूषण का प्रभाव नही होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंधन द्वारा साधू तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जावेगा, जिससे ग्रामीणजन को तालाब से लाभ प्राप्त हो सके।	Sadhu Talab will be totally contaminated.	stopped the operation and will start operation only after taking necessary action. After installation of wet coal washery there will not be any air pollution. In addition to this there is no impact in Sadhu talab. The management will take care of make over of this sadhu talab, by which villagers will be benefited.

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)